जनपद शामली पुलिस

--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति दिनांक 09.11.2024

थाना कैराना पुलिस द्वारा थाना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तारः-

ज्ञात हो कि दिनांक 08.08.2024 को वादिया श्रीमती जमशीदा पत्नी शमशाद निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली नें अभियुक्तगण द्वारा गाली गलौज, मारपीट कर जानलेवा हमला करने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के सम्बन्ध में थाना कैराना पर लिखित तहरीर दाखिल की थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कैराना पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया था। थाना कैराना पुलिस द्वारा घटना में लिप्त अभियुक्तगण की तलाश की जा रही थी।

इसी क्रम में आज दिनांक 09.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे अपराध की रोकथाम एवं अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के निकट पर्यवेक्षण में थाना कैराना पुलिस द्वारा कैराना क्षेत्रान्तर्गत ग्राम मण्डावर में जानलेवा हमला करने व नाबालिग के साथ छेड़छाड़ के मामले में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। घटना से सम्बन्धित अभियुक्त आस मौहम्मद उर्फ आशू, अफसरुन, अहसान व सलमान को पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है। शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु टीमें लगाई गयी है, शीघ्र गिरफ्तारी सुनिश्चित की जायेगी।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.फारुख पुत्र इकबाल निवासी ग्राम मण्डावर थाना कैराना जनपद शामली।

आपराधिक इतिहासः-

1.मु0अ0सं0 458/2024 धारा 191(2)/191(3)/190/115(2)/109/74/333/352/351(2)(3) बीएनएस थाना कैराना जनपद शामली।

थाना थानाभवन पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध हथियार व कारतूस बरामदः-

आज दिनांक 09.11.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध व्यक्ति/वाहन चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के कुशल नेतृत्व में थाना थानाभवन पुलिस को 01 अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त हुयी है, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद हुआ है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना थानाभवन पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्तः-

1.नाजिम राणा पुत्र अलीनवाज निवासी ग्राम भैसानी इस्लामपुर थाना थानाभवन जनपद शामली।

बरामदगी का विवरणः-

1.अवैध 01 तमंचा मय 01 जिन्दा कारतूस 315 बोर।

साइबर अपराध एवं अपराधियों पर नियंत्रण हेतु पुलिस अधीक्षक शामली द्वारा चलाए जा रहे अभियान के अन्तर्गत साइबर थाना, शामली द्वारा 6,85,431/- रुपये की धनराशि वापस करायी गयी।

ज्ञात हो श्री कृष्णपाल सिंह पुत्र स्व0 श्रीराम सिंह निवासी ग्राम ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली से फर्जी ट्रेडिंग कर साइबर ठगो द्वारा धनराशि ठग ली गयी थी। श्री कृष्णपाल सिंह उपरोक्त की तहरीर के आधार पर साइबर थाना शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के निर्देशन में साइबर थाना शामली द्वारा तत्परता से कार्यवाही करते हुए पीड़ित के खाते से डेबिट हुई धनराशि में से 6,85,431/- रुपये की धनराशि पीड़ित के खाते में वापस करायी गयी है। शेष धनराशि बरामदगी हेतु साइबर थाना पर आवश्यक कार्यवाही प्रचलित है।

पुलिस टीम साइबर थानाः-

1.निरीक्षक श्री संजीव भटनागर साइबर थाना जनपद शामली।

2.क0ऑ0 विकास चौधरी साइबर थाना जनपद शामली।

3.का0 अर्चित कुमार साइबर थाना जनपद शामली।

4.का0 अनुज कुमार साइबर थाना जनपद शामली।

SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI